

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-364/04

संस्थित दिनांक- 12.08.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

### **विरुद्ध**

1. श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र तंगा हरीजन उम्र 60 साल
2. तिलक सिंह पुत्र श्यामा हरिजन उम्र 32 साल  
निवासीगण ग्राम सीगोन,  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 22.08.2017 को घोषित)**

01-अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506बी, 34 के आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 25.07.2004 को रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम सीगौन में कलाबाई को मादरचोद आदि गालियों के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया फरियादी कलाबाई, रामसिंह एवं देशराज को सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण के में श्यामलाल ने लाठी से तिलक सिंह ने घातक हथियार कुल्हाडी से पप्पू ने लुहांगी से फरियादी कलाबाई आहत रामसिंह एवं देशराज को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

02-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उन्होंने दिनांक 25.07.2004 को फरियादिया कलाबाई अपने देवर राजाराम को समझा रही थी वह शराब पीकर प्रतात को गालिया दे रहा था, इतने में श्यामलाल व तिलक, पप्पू लुहांगी, कुल्हाडी व लाठी लेकर आये और कलाबाई के लडके को गालियां देने लगे तो कलाबाई ने कहा कि गालिया क्यों दे रहे तो श्यामलाल ने दो लाठी मारी जो बाये हाथ के कन्धा, कलाई व बाये पैर लगी। जांघ में चोट होने से सूजन आ

गयी। फिर तिलक सिंह ने कुल्हाडी मार सिर में माथे के उपर लगी खून निकल आया। कलाबाई का लडका देशराज, रामसिंह बचाने आये तो पप्पू ने लुहांगी मारी देशराज के सिर में लगी। श्यामलाल ने लाठी मारी जो राम सिंह के दाहिने हाथ की कलाई में लगी फिर श्यामलाल ने कलाबाई लाठी मारी जो उसे बाये हाथ की कलाई में लगी पप्पू ने फरियादिय कलाबाई को लुहांगी मारी दाहिने हाथ में लगी, कलाबाई भागने लगी तो तिलक पप्पू ने हाथ पकड लिया और रोक लिया, मौके पर राजाराम, प्रताप और मनरू थे उन्होने घटना देखी फरियादिया कलाबाई के द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-115/04 अंतर्गत धारा-341, 294, 323, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

|    |  |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्तगण दिनांक 25.07.2004 को रात्रि लगभग 8 बजे ग्राम सीगोन में लोक स्थान पर फरियादी कलाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?  |
| 2. | क्या दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने कलाबाई, रामसिंह व देशराज को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में श्यामलाल ने लाठी से व तिलक सिंह घातक हथियार कुल्हाडी से कलाबाई, रामसिंह व देशराज को स्वेच्छया उपहति कारित की ? |
| 3. | क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर  |

|    |   |
|----|---|
|    | अभियुक्तगण ने फरियादी एवं आहतगण को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ? |
| 4. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?  |

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्न का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 06— फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) का अपने कथनों में यह कहना है कि घटना सावन व आषाढ माह की शाम करीबन 06:00-07:00 बजे की है, उस समय वह घर थी। फरियादिया के अनुसार उसका देवर राजाराम दारू पिये हुये था और प्रताप को गालिया दे रहा था, जिस पर से वह तथा उसके लडके देशराज, राजाराम व राम सिंह व कप्तान सिंह, राजाराम को समझा रहे थे तो अभियुक्त श्यामलाल एवं तिलक ने उसके के साथ लाठी से मारपीट की थी तथा अभियुक्त पप्पू ने गाली गिल्ला दिया था।
- 07— फरियादी ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना का दिनांक और माह स्पष्ट नहीं किया है परन्तु फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) का यह कहना है कि घटना सावन आषाढ माह के करीबन 06:00-07:00 बजे की है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में इस साक्षी का यह भी स्पष्ट कहना है कि घटना के समय अंधेरा हो गया था। कलाबाई (अ0सा0-1) ग्रामीण महिला हैं, जिससे निश्चित रूप से यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना का अंग्रेजी माह और दिनांक बता सके, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि घटना रात्रि लगभग 08:00 बजे की होकर जुलाई माह की है, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 1 से भी होती है।
- 08— घटना दिनांक व समय को विवाद राजाराम के द्वारा प्रताप को गालियां देने पर से प्रारंभ हुआ था, इस संबंध में भले ही स्वयं राजाराम (अ0सा0-8) ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया, परन्तु विवाद राजाराम के द्वारा प्रताप

को गालिया देने पर से शुरू हुआ था इस संबंध में कलाबाई (अ0सा0-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट रूप से अभियोजन के समर्थन में कथन दिये हैं तथा उक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं।

- 09- देशराज (अ0सा0-2) और राम सिंह (अ0सा0-3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये, यह कथन दिये हैं कि घटना दिनांक को शाम करीबन 06-07 बजे राजाराम दारु पीकर प्रताप को गालियां दे रहा था, जिसे समझाने पर से विवाद हुआ था। इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन भी उनके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं। मनका (अ0सा0-6) ने हालांकि पूरी तरफ से अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये हैं कि घटना दिनांक को लगभग रात्रि 08:00 बजे राजाराम व कलाबाई की लड़ाई हो रही थी तथा उसने आरोपी व फरियादी के बीच गाली-गलौच होते हुये देखा था।
- 10- फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये कथन कि “घटना दिनांक को रात्रि 8 बजे राजाराम जब प्रताप को गालिया दे रहा था, उसके व उसके पुत्र देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) के द्वारा राजाराम को समझाने पर अभियुक्तगण ने विवाद प्रारंभ किया था” उसके संपूर्ण परीक्षण में अखण्डित हैं। जिसके संबंध में बचाव पक्ष कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है। फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी 1 से भी होती है तथा अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये साक्षी देशराज (अ0सा0-2), रामसिंह (अ0सा0-3) व मनका (अ0सा0-6) ने भी फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि की है। अतः उपरोक्त अखण्डित साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को रात्रि 08:00 बजे लगभग राजाराम जब दारु पीकर प्रताप को गालियां दे रहा था, तो राजाराम को समझाने पर से अभियुक्तगण ने फरियादी पक्ष के साथ विवाद किया था।
- 11- फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में ही राजाराम के द्वारा प्रताप को गालियां देने का कारण भी स्पष्ट किया है। कलाबाई (अ0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि जब राजाराम प्रताप को गालियां दे रहा था, तो उसने राजाराम से जाकर कहा था कि “तू दूसरों को गालिया क्यों

दे रहा हैं, अपने भाई को गाली दे" कलाबाई (अ0सा0-1) व देशराज (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन लोगों ने जमीन प्रताप को बेची थी, जिसमें राजाराम का भी हिस्सा था और इसी कारण से राजाराम प्रताप को गालिया दे रहा था। फरियादी कलाबाई ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्पष्ट किया है कि प्रताप अभियुक्त श्यामलाल का नाती लगता हैं।

- 12- अतः फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) व देशराज (अ0सा0-2) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि फरियादीगण ने प्रताप को कोई जमीन बेची थी, जिसमें राजाराम का हिस्सा था और राजाराम हिस्सा न मिलने पर जमीन के क्रेता प्रताप को दारू पीकर गालियां दे रहा था और इसी कारण से कलाबाई (अ0सा0-1) का राजाराम से यह कहना था कि वह प्रताप को गाली क्यों को दे रहा है उसे अपने भाई को गाली देनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को राजाराम गाली दे रहा था वह अभियुक्त श्यामलाल का नाती था, इस कारण से मौके पर विवाद हुआ था।
- 13- फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में घटना घटित होने के स्थान के संबंध में भी अखण्डित कथन करते हुये व्यक्त किया है कि घटना स्थल चुन्नीलाल के घर से 15-20 मीटर की दूरी पर था। अभियुक्त चुन्नीलाल के चबूतरे पर बैठा था तथा चुन्नीलाल के जानवर जिस मकान पर बंधते है वही पर झगडा हुआ था। फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि झगडे का स्थान उसके अनुसार चुन्नी लाल के मकान के पास था, जिसकी पुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श-पी 7 में दर्शाया गये घटना स्थल से भी होती है।
- 14- अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को रात्रि लगभग 8 बजे राजाराम की जमीन बेचने पर से दारू पीकर राजाराम प्रताप को गालिया दे रहा था, तो वहां पर फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1), देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) के द्वारा राजाराम को समझाने पर कि वह गालिया क्यों दे रहा है तो अभियुक्तगण ने चुन्नी लाल के मकान के पास उन लोगों के साथ झगडा किया था। अब मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जाना है कि वास्तव में अभियुक्तगण ने फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) के साथ घटना में लाठी लुहांगी और कुल्हाडी से वास्तव में मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की थी अथवा नहीं ?

- 15— अभियुक्तगण के द्वारा कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ की गई मारपीट के संबंध में स्वयं कलाबाई (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों की कण्डिका 2 में कहना है कि श्यामलाल ने उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में लाठी मारी थी जिससे उसे तीन टांके आये थे तथा इसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कहना है कि तिलक ने उसके सिर में लाठी मारी थी तथा पैर में भी दो लाठियां मारी थी। फरियादिया के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं जिसमें कलाबाई (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है उसे आरोपी श्यामलाल ने धोखे से लाठी मारी थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में इसी साक्षी का कहना है कि श्यामलाल के द्वारा हाथ में लाठी मारने से उसे तीन टांके आये थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में अपनी दोनो जाघ, पिण्डली, सिर में व हाथ में घटना में चोट आना बताया है तथा इस बात का ध्यान न होना बताया है उसके दाहिने हाथ की कोहनी में चोट आई थी या नहीं।
- 16— फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) का अपने कथनों में यह कहना है कि पप्पू ने घटना में मारपीट नहीं की थी, केवल गाली-गलौच की थी। अतः फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) के अनुसार उसके साथ मारपीट केवल श्यामलाल और तिलक ने की थी जो लाठियों से की थी तथा उक्त मारपीट में उसे हाथ में जांघ में पिण्डली में और सिर में चोटें आई थीं। देशराज (अ0सा0-2) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कथन दिये हैं कि उसकी मां को अभियुक्त श्यामलाल ने लाठी से मारा था तथा तिलक ने लाठी या लुहांगी से उसकी मां के साथ मारपीट की थी। देशराज (अ0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह कथन दिये हैं कि उसकी मां को अभियुक्त श्यामलाल ने एक लाठी मारी थी जिससे उसका सिर फट गया था। इसी साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में यह भी कहना है कि उसकी मां को लाठी से सभी जगह चोटें आई थी तथा उसकी मां की जांघ से व पिण्डली से खून निकल रहा है। रामसिंह (अ0सा0-3) ने भी अपने कथनों में इस संबंध में अखण्डित कथन दिये हैं कि अभियुक्त श्यामलाल ने उसकी मां के हाथ के अंगूठे में लाठी मारी थी तथा तिलक ने भी मां के साथ लाठी से मारपीट की थी।
- 17— कलाबाई (अ0सा0-1), देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) के द्वारा

अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण के द्वारा कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ किस हथियार से व शरीर के किस स्थान पर मारपीट की गई, इस संबंध में विरोधाभास देखा जा सकता है। कलाबाई (अ0सा0-1) व रामसिंह (अ0सा0-3) जहां श्यामलाल के द्वारा कलाबाई (अ0सा0-1) को केवल ही एक ही लाठी हाथ के अंगूठे में मारना बताते हैं, वहीं देशराज (अ0सा0-2), श्यामलाल के द्वारा कलाबाई (अ0सा0-1) को सिर में लाठी मारना बताता है।

- 18- कलाबाई (अ0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में श्यामलाल के द्वारा हाथ में एक ही लाठी मारना बताती हैं तथा तिलक के द्वारा सिर में, पैरों में लाठी मारकर उपहति कारित करने की संबंध में कथन देती है। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार तिलक ने फरियादी के माथे पर कुल्हाड़ी से उपहति कारित की थी जबकि श्यामलाल ने लाठी से दाहिने हाथ की कोहनी, बाये हाथ के कंधा कलाई, बाये पैर की जांघ व बाये हाथ की गदेली में लाठी मारकर उपहति कारित की थी। अतः किस अभियुक्त ने फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) को शरीर के किस भाग पर कितने प्रहार करके उपहति कारित की थीं, इस संबंध में फरियादिया के कथनों और अभियोजन कहानी में विरोधाभास की स्थिति देखी जा सकती है।
- 19- कलाबाई (अ0सा0-1) व देशराज (अ0सा0-2) के स्वयं के कथन इस संबंध में विरोधाभासी है कि कलाबाई के सिर में उपहति किस अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी। कलाबाई (अ0सा0-1) जहां तिलक के द्वारा उसे सिर में लाठी मारना बताती हैं, जबकि तिलक के द्वारा अभियोजन कहानी के अनुसार कुल्हाड़ी मारी गयी थीं, वहीं देशराज (अ0सा0-2) श्यामलाल के द्वारा कलाबाई (अ0सा0-1) के सिर में लाठी मारना बताता हैं जबकि स्वयं कलाबाई (अ0सा0-1) का यह कहना है कि श्यामलाल ने उसे मात्र दाहिने हाथ के अंगूठे में लाठी मारी थीं जिसमें उसे तीन टांके आये थे।
- 20- अतः कलाबाई (अ0सा0-1) देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में कलाबाई (अ0सा0-1) को किस अभियुक्त ने शरीर के किस भाग पर किस हथियार से उपहति कारित की थीं, परन्तु उपरोक्त विरोधाभास के होते हुये यह उल्लेखनीय है कि कलाबाई (अ0सा0-1) व देशराज (अ0सा0-2) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि फरियादिया के सिर में लाठी की चोट थीं तथा हाथ के अंगूठा भी फट गया था जिसमें फरियादियां टांके आना बताती है। फरियादियां ने अपने

कथनों में भले ही इस संबंध में विरोधाभासी कथन दिये हो कि किस अभियुक्त ने उसे शरीर में किस स्थान पर उपहति कारित की थी, परन्तु अभियुक्त श्यामलाल व तिलक ने उसके साथ मारपीट कर उस उपहति कारित की थी तथा घटना में उसे सिर में, हाथ में, जांघों में, पिंडली में चोटें आई थीं। इस संबंध में फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) की साक्ष्य अखण्डित हैं। जिसकी पुष्टि देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) की कथनों से भी होती है।

- 21- जहां तक फरियादियां कलाबाई (अ0सा0-1), देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है कि किस अभियुक्त ने शरीर के किस भाग पर फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) को उपहति कारित की थी तो इस संबंध में कलाबाई (अ0सा0-1) के संपूर्ण न्यायालीन कथनों को देखते हुये, उपरोक्त विरोधाभास तात्त्विक स्वरूप का प्रतीत नहीं होता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि दो से तीन व्यक्तियों के साथ ही मारपीट करते हैं, तो आहत व्यक्तियों से यह उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह किसी मैच की तरह घटना का एक एक विवरण कि किस स्थान पर किस व्यक्ति ने किस हथियार से उपहति कारित की, बता सके। यह संभव ही नहीं है कि किसी आहत व्यक्ति के साथ यदि दो से तीन लोग अलग अलग हथियार लेकर मारपीट करे तो वह यह बता सके कि किस व्यक्ति के हथियार से उसे शरीर के किस स्थान पर चोट कारित हुई थी। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं बचने का प्रयास करता है न कि कौन सा व्यक्ति उसे किस हथियार से शरीर के किस भाग पर चोट पहुंचा रहा है यह गिनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मात्र घटना में स्वयं को शरीर के किस भाग पर चोटें आई यह बता सकता है।
- 22- कलाबाई (अ0सा0-1) व देशराज (अ0सा0-2) एवं रामसिंह (अ0सा0-3) के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि घटना में कलाबाई (अ0सा0-1) के सिर में लाठी से चोट आई थी तथा उसका एक हाथ का अंगूठा भी लाठी से फट गया था एवं उसकी जांघ में व पैरों में चोट आई थीं। अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-5) का परीक्षण न्यायालय में कराया गया है जिनके द्वारा दिनांक 26.07.2014 को फरियादियां का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने की पुष्टि अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-5) ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादिया के बाये कंधे पर नीलगू व सूजन की चोट बायी अग्र भुजा पर खरोंच, बाये हाथ की अंगूली व चौथी अंगूली के बीच में एक फटा हुआ घाव,



जांघ के बाहरी भाग पर नील की चोट तथा दाहिने हाथ की कोहनी में सूजन सहित सिर के बाये पैराइटल भाग पर एक कटा हुआ घाव चिकित्सीय परीक्षण में बाये जाने की पुष्टि करते हुये कथन दिये है तथा डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-5) के अनुसार उक्त चोटें 24 घण्टे के अंदर की थीं।

23- फरियादिया कलाबाई (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-5) के द्वारा पाई चोटों के संबंध में दिये गये उपरोक्त न्यायालीन कथन की पुष्टि कलाबाई (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी 3 से भी होती हैं जिस पर डॉक्टर बाये0 एस0 तोमर ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के तुरन्त बाद फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाये कंधे पर नीलगू व सूजन की चोट बायी अग्र भुजा पर खरोंच, बाये हाथ की अंगूली व चौथी अंगूली के बीच में एक फटा हुआ घाव, जांघ के बाहरी भाग पर नील की चोट तथा दाहिने हाथ की कोहनी में सूजन सहित सिर के बाये पैराइटल भाग पर एक कटा हुआ घाव था, जिससे चिकित्सीय साक्ष्य से भी फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना में उसके सिर सहित शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं। फरियादी के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटों की प्रकृति को देखते हुये एवं अभिलेख पर घटना के संबंध में आई मोखिक साक्ष्य को देखते हुये इस बात पर लेषमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटें अभियुक्त श्यामलाल व तिलक के द्वारा घटना में फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ की गई मारपीट का परिणाम है, जिससे यह साबित होता है कि फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ अभियुक्त श्यामलाल व तिलक ने मारपीट कर उसे उपहति कारित की थीं।

24- जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) को कारित की गई उपहति का प्रश्न है, तो चिकित्सीय साक्षी डाक्टर बाये0 एस0 तोमर (अ0सा0-5) ने अपने कथनों में इस बात की भी पुष्टि की है कि दिनांक 26.07.2004 को उनके द्वारा जब देशराज (अ0सा0-2) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, तो उनके द्वारा देशराज के सिर में बाये पैराइटल भाग पर एक फटा हुआ घाव, बाये कोहनी के पृष्ठ भाग पर खरोज व नील की चोट व छाती में बायी तरफ नील की चौट पाई थीं तथा राम सिंह को परीक्षण में कोई चोट नहीं पाई गई थी। डाक्टर बाये एस तोमर (अ0सा0-5) के उपरोक्त

कथनों की पुष्टि उनके तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी 4 व 5 से होती है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय देशराज (अ0सा0-2) के शरीर पर भी चोटें पाई गई थीं, उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई इस संबंध में स्वयं देशराज (अ0सा0-2) सहित अन्य साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है।

25- कलाबाई (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में यह अवश्य कहना है कि घटना में उसे देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) को चोटें आई थीं, परन्तु कलाबाई (अ0सा0-1) का देशराज को कारित की गई उपहति के संबंध में अपने कथनों की कण्डिका 2 में कहना है कि देशराज को श्यामलाल ने सिर में लाठी मारी थी तथा राम सिंह बचाने आया था तो उसे भी श्यामलाल ने लाठी ने मारी थी जिसके बारे में उसे पता नहीं है कि लाठी कहा लगी थी। फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण में की कण्डिका 9 में कहना है कि देशराज व रामसिंह को श्यामलाल ने मारा था। कलाबाई (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 9 में व्यक्त किया है कि पप्पू ने किसी को नहीं मारा था और न उसने लुहांगी से मारने वाली बात लेख कराई थी। अतः कलाबाई (अ0सा0-1) के अनुसार घटना में देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) के साथ केवल श्यामलाल ने मारपीट की थी। देशराज (अ0सा0-2) भी अपने न्यायालीन कथनों में श्यामलाल के द्वारा अकेले उसे व राम सिंह (अ0सा0-3) को लाठी से मारने की घटना बताता है तथा देशराज (अ0सा0-2) के अनुसार श्यामलाल ने उसे पीछे आकर सिर में लटठ मारा था।

26- यहा यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) को मात्र एक एक उपहति कारित हुई है जिसके संबंध में इन साक्षियों ने पुलिस को भी कथन दिये हैं अभियोजन कहानी के अनुसार देशराज को पप्पू ने सिर में लुहांगी मारी थी तथा राम सिंह को श्यामलाल ने दाहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी थी, परन्तु उपरोक्त घटना को प्रमाणित करने के लिये फरियादी सहित घटना में आहत देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) के कथन अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। निश्चित रूप से यदि कई व्यक्तियों के द्वारा कई व्यक्तियों के साथ मारपीट की जावे, तो यह बता पाना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति ने किस हथियार से किस व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, परन्तु जब मारने वाला एक व्यक्ति हो और पीटने वाला भी एक व्यक्ति हो तो आहत व्यक्ति के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास आना कि किसने किस हथियार से उसे उक्त एक उपहति कारित की, निश्चित

रूप से साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ले आता है।

- 27— अभियोजन कहानी के अनुसार देशराज (अ0सा0-2) को मात्र पप्पू ने सिर में लुहांगी मारी थी परन्तु स्वयं देशराज (अ0सा0-2) सहित अन्य कोई भी साक्षी इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। कलाबाई जो घटना में फरियादी है, अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में स्वयं यह कहती है कि पप्पू ने घटना में नहीं मारा था तथा उसने इस संबंध में थाने पर झूठ बोला था। स्वयं देशराज (अ0सा0-2) का भी यह कही भी कहना नहीं है कि अभियुक्त पप्पू ने उसके सिर में लुहांगी मारी थीं। देशराज (अ0सा0-2) व कलाबाई (अ0सा0-1) के अनुसार श्यामलाल ने देशराज (अ0सा0-2) के सिर में लाठी मारी थीं जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार ऐसा कोई कृत्य श्यामलाल ने देशराज (अ0सा0-2) के साथ नहीं किया था। अतः ऐसे में साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि अभियुक्त श्यामलाल ने देशराज (अ0सा0-2) को सिर में लाठी मार कर उपहति कारित की थी।
- 28— राम सिंह (अ0सा0-3) को घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार श्यामलाल ने दाहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी थी तथा उक्त एक मात्र चोट अभियोजन कहानी के अनुसार रामसिंह (अ0सा0-3) को घटना में आई थीं। यदि निश्चित रूप से उक्त घटना सत्य होती तो स्वयं राम सिंह (अ0सा0-3) के कथन इस संबंध में विरोधाभासी नहीं होते। राम सिंह (अ0सा0-3) को स्वयं ही यह याद नहीं है कि घटना में उसे कहा चोट आई थी। इस साक्षी का यह कहना है कि अभियुक्त श्यामलाल ने उसे पैर में लाठी मारी थीं। देशराज (अ0सा0-2) श्यामलाल के द्वारा रामसिंह के बखा में मारना बताता है तथा कलाबाई (अ0सा0-1) अभियुक्त श्यामलाल के द्वारा रामसिंह (अ0सा0-3) को जांघ में लात मारना बताती है, जबकि राम सिंह (अ0सा0-3) का कही भी यह कहना नहीं है कि उसे बखा में या जांघ में अभियुक्त श्यामलाल के मारने से चोट आई थी।
- 29— अतः ऐसे में राम सिंह (अ0सा0-3) को घटना में कारित हुई उपहति के संबंध में स्वयं राम सिंह (अ0सा0-3) के कथन अभियोजन घटना से भिन्न है वहीं अन्य साक्षियों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि श्यामलाल के द्वारा रामसिंह (अ0सा0-3) को दाहिने पैर में लाठी मारकर उपहति कारित की गई थी। यदि वास्तव में श्यामलाल के द्वारा ऐसी कोई घटना कारित की गई होती तो निश्चित रूप से राम सिंह के कथन इस संबंध में स्पष्ट होते कि अभियुक्त

श्यामलाल ने उसे लाठी से कहा प्रहार कर उपहति कारित की, क्योंकि घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार राम सिंह (अ0सा0-3) पर एक ही प्रहार हुआ था। अतः ऐसे में साक्षियों के कथन इस संबंध में भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि अभियुक्त श्यामलाल ने राम सिंह (अ0सा0-3) को लाठी मार कर कोई उपहति कारित की थी।

30- चिकित्सीय साक्ष्य से घटना के दूसरे दिन देशराज (अ0सा0-2) के शरीर पर चोटें होने की पुष्टि होना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थी जब तक की उसे स्वयं साक्षियों के द्वारा मौखिक साक्ष्य से साबित न कर दिया जावे। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि कलाबाई (अ0सा0-1) को चिकित्सीय परीक्षण पाई गई चोटें घटना में अभियुक्त श्यामलाल व तिलक सिंह के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम थीं परन्तु अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं कि अभियुक्तगण के में से किसी ने देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की। जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की।

31- घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थित तथा उनके द्वारा पूर्व से विवाद को लेकर मौके पर एक राय होकर फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट की घटना कारित कर उसे उपहति कारित करने के संबंध में अभिलेख पर अखण्डित साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह दर्शित होता है कि कलाबाई को उपहति कारित करने का अभियुक्तगण ने पूर्व से ही सामान्य आशय निर्मित किया हुआ था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में ही घटना कारित की गई थीं। अभियुक्त श्यामलाल व तिलक सिंह घटना में फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट कर उपहति कारित की थीं। यह तो अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है परन्तु उक्त उपहति किसी घातक हथियार जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो या किसी काटने के उपयोग में लाये जाने वाले हथियार से कारित की गई, इस संबंध में फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये।

32- अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये सभी साक्षी जहां श्यामलाल के द्वारा

लाठी से मारपीट की जाने की घटना बताते हैं जो कि निश्चित रूप से उपरोक्त श्रेणी के हथियारों में नहीं आते हैं। वहीं अभियोजन कहानी के अनुसार पप्पू के द्वारा लुहांगी से एव तिलक सिंह के द्वारा कुल्हाड़ी से मारपीट की घटना कारित की गई थी परन्तु इस संबंध में अभियोजन घटना के विपरीत स्वयं फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) का ही यह कहना है कि पप्पू ने घटना में कोई मारपीट नहीं की थी ओर न ही उसने पप्पू के द्वारा लुहांगी लेकर मारपीट करने की घटना लेख कराई थी। कलाबाई (अ0सा0-1) का अपने कथनों में की कण्डिका 2 में कहना है कि तिलक ने सिर में लाठी मारी थी तथा यह साक्षी भी स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा प्रयोग किया गया हथियार लाठी था या लुहांगी था।

33- देशराज (अ0सा0-2) व रामसिंह (अ0सा0-3) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि तिलक सिंह के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गई तथा स्वयं कलाबाई (अ0सा0-1) ने भी इस संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। अभियोजन की ओर से प्रकरण में उपनिरीक्षक अमरचंद शर्मा (अ0सा0-10) के कथन न्यायालय में अवश्य कराये जिसने स्वयं प्रदर्श-पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना व सहायक उपनिरीक्षक रमेश सोनी के द्वारा प्रकरण की विवेचना कि दौरान तैयार की गये दस्तावेजों पर रमेश सोनी के हस्ताक्षरों की पहचान की है। उक्त दस्तावेजों में प्रदर्श-पी 17 का तलाशी पंचनामा भी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण में से किसी से भी ऐसे किसी धारदार हथियार अथवा किसी घातक हथियार जिसके प्रयोग से मृत्यु कारित होना संभाव्य है कि जप्ती नहीं की गई जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में प्रयोग किया जाना बताया गया है।

34- अतः ऐसे में साक्षियों के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी परन्तु उक्त घटना में अभियुक्तगण ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी एवं घातक हथियार लाठी व लुहांगी जिसके प्रयोग से मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, का उपयोग किया गया यह न तो प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य प्रमाणित हैं तथा उस पर प्रकरण में हथियारों की जप्ती न होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण ने घटना में भादवि की धारा 324 में उल्लेखित हथियारों का उपयोग कर फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) को स्वेच्छया उपहति कारित की। जिससे अभियुक्तगण का कृत्य भादवि की धारा 324 की परिधि में

न आकर भादवि की धारा 323 की परिधि में आता है। इस संबंध में न्यायालय में अभिमत माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत.... **Crl R.C. No. 1679 of 2005 Duvvur Narayana and 3 others the state of A.P.** दिनांकित 14.11.2011 में प्रतिपादित न्यायामत पर आधारित है।

- 35— जहां तक घटना में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1) को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने का प्रश्न है एवं फरियादी सहित आहतगण को जान से मारने की धमकी दी जाने की घटना हैं तो इस संबंध में स्वयं फरियादी कलाबाई (अ0सा0-1), देशराज (अ0सा0-2), रामसिंह (अ0सा0-3) ने अभियुक्त श्यामलाल व तिलक के विरुद्ध अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये। मनका (अ0सा0-6) ने अपने कथनों में आरोपी व फरियादी के बीच गाली-गलौच होना तो बताया है, परन्तु कौन किसे गाली दे रहा था, इस संबंध में इस साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं हैं। अतः अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने फरियादी एवं आहतगण को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उन्हें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था व संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप भी साबित नहीं होते हैं।
- 36— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण दिनांक-25.07.2004 को रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम सीगोन में लोक स्थान पर फरियादी कलाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सहित आहतगण को संत्राष कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी तथा उन्होंने घटना में धारदार हथियार कुल्हाड़ी एवं घातक हथियार जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, का प्रयोग किया था, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 25.07.2004 को रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम सीगोन कलाबाई (अ0सा0-1) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 37— फलतः अभियुक्तगण श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र तंगा हरीजन, तिलक

सिंह पुत्र श्यामा हरिजन को भादवि की धारा 294, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से एवं देशराज (अ0सा0-2) व राम सिंह (अ0सा0-3) को स्वेच्छया उपहति कारित करने के संबंध में भादवि की धारा 323/34 दो शीर्ष के आरोपों से दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र तंगा हरीजन, तिलक सिंह पुत्र श्यामा हरिजन के विरुद्ध कलाबाई (अ0सा0-1) के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति करने के आरोप पूरी तरह से साबित होते हैं, जिससे अभियुक्तगण को कलाबाई (अ0सा0-1) को घटना में कारित हुई उपहति के संबंध में भादवि की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

- 38— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 39— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण कई माह से अभिरक्षा में हैं। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।
- 40— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण पर एक महिला के साथ बर्बरता पूर्ण मारपीट करने के आरोप हैं, जिससे गंभीर परिणाम भी हो सकते थे परन्तु अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति एवं प्रकरण की लंबित अवधि को देखते हुये। अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित

प्रतीत नहीं होता है अतः अभियुक्तगण को भादवि की धारा 323/34 में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को 02 माह ( दो माह ) का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने की दशा में 07 दिवस ( सात दिवस ) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोधी में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर सलंग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)